

सूचना आयुक्तों की नयुक्तियों में देरी

प्रलम्बित के लिये:

[सर्वोच्च न्यायालय](#), [सूचना का अधिकार अधिनियम 2005](#), [सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002](#), [भारतीय साक्ष्य अधिनियम](#), [CEC](#), [नरिवाचन आयुक्त](#), [डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023](#), [केंद्रीय सूचना आयोग \(CIC\)](#), [RTI \(संशोधन\) अधिनियम, 2019](#), [वैधानिक नकिय](#), [वपिक्ष का नेता](#), [लाभ का पद](#), [सहकारिता](#) ।

मेन्स के लिये:

RTI की प्रभावशीलता को कमजोर करने वाले मुद्दे और आगे की राह

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI अधिनियम, 2005) के तहत सूचना आयुक्तों (IC) की नयुक्तियों में केंद्र तथा राज्यों द्वारा की जा रही लगातार देरी की नदि की है ।

- सूचना आयुक्तों की नयुक्तियों में देरी से नागरिकों की सूचना के अधिकार का प्रयोग करने की क्षमता सीमति होने के साथ मामले लंबति रहते हैं ।

RTI अधिनियम, 2005 के संबंध में क्या चिंताएँ हैं?

- नयुक्तियों में देरी: वर्ष 2024 तक केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में IC के 8 पद रिक्त थे तथा नागरिकों द्वारा दायर 23,000 अपीलें लंबति थीं ।
 - राज्यों में कई सूचना आयोग वर्ष 2020 से नषिक्रयि हो गए हैं और कुछ ने RTI अधिनियम, 2005 के तहत याचिकाएँ स्वीकार करना बंद कर दिया है ।
 - लोक सूचना प्राधिकारियों (PIO) से प्राप्त RTI की प्रतिक्रियाओं से असंतुष्ट होकर नागरिक प्रायः नामति अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर करने के लिये प्रेरति होते हैं ।
- अधीनस्थ नयिम: अलग-अलग नयिमों के कारण RTI अधिनियम का क्रयिान्वयन राज्यों में अलग-अलग होता है । उदाहरण के लिये, कुछ राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल की कमी है या पंजीकरण में असंगतता है, जिससे संबंधति प्रक्रयि जटलि हो जाती है ।
- पारदर्शति का अभाव: सूचना आयुक्तों के पद पर नयुक्त अधिकांश लोग पूर्व नौकरशाह हैं, जिससे नरिणय लेने की प्रक्रयि में नषिपक्षता तथा पारदर्शति के संदर्भ में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं ।
 - [\[1\]\[2\]\[3\]\[4\] \[5\]\[6\]\[7\]\[8\]\[9\]\[10\] \[11\]\[12\] \[13\]\[14\] \[15\]\[16\] \[17\]\[18\] \[19\]\[20\] \[21\]\[22\]](#), 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने वविधि पृष्ठभूमि से लोगों की नयुक्तियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ।
- व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक करना: RTI अधिनियम, 2005 में सार्वजनिक हति होने पर सरकार को व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक करने की अनुमति दी गई । हालाँकि, DPDP अधिनियम, 2023 द्वारा इसे पूर्ण प्रतबिंध में बदल दिया गया, जिससे शक्तिशाली लोक प्राधिकारियों की जवाबदेहति कम होगी ।
- एकतरफा संशोधन: RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के कार्यकाल एवं वेतन का नरिधारण करने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया गया, जिससे संभावति रूप से इनकी स्वायत्तता से समझौता हो सकता है ।

नोट: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 द्वारा व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक करने पर पूरी तरह से प्रतबिंध लगा दिया गया, जिससे सार्वजनिक ऑडिट एवं जवाबदेहति में बाधा आ सकती है । इससे पहले, सार्वजनिक हति न होने पर सरकार को नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक करने से प्रतबिंधति किया गया था ।

RTI अधिनियम, 2005 से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने के अधिकार से सशक्त बनाने के लिये अधिनियमित किया गया था।
 - इसका उद्देश्य सरकारी नकियों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देना है।
- उत्पत्ति: RTI अधिनियम की उत्पत्ति 1980 के दशक में राजस्थान में हुए एक ज़मीनी आंदोलन से हुई, जहाँ ग्रामीणों ने जवाबदेही और अभिलेखों तक पहुँच की मांग की थी।
- प्रमुख प्रावधान:
 - यह अधिनियम केंद्र, राज्य और स्थानीय नकियों समेत सरकार के सभी स्तरों पर लागू होता है।
 - धारा 8(2) सूचना के प्रकटीकरण की अनुमति देती है जब सार्वजनिक हित सूचना की गोपनीयता से अधिक महत्वपूर्ण हो।
 - धारा 22 यह सुनिश्चित करती है कि RTI अधिनियम को अन्य कानूनों के साथ किसी भी वसिगति पर प्राथमिकता दी जाएगी।
- छूट: आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA), 1923 नौकरशाहों को आधिकारिक दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने के लिये जानकारी रोकने की अनुमति देता है।
 - अन्य कानून, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम) और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, 1968, अधिकारियों को RTI अधिनियम, 2005 के तहत सूचना को प्रतबंधित करने की अनुमति देते हैं।
- RTI अधिनियम, 2005 में प्रमुख संशोधन:
 - सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019: RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और IC का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया है। सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बाद कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है।
 - मूल रूप से, सीआईसी का वेतन और सेवा की शर्तें CEC के साथ और IC का चुनाव आयुक्त के साथ संरेखित होती हैं। संशोधनों के बाद, सीआईसी और आईसी दोनों के लिये वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

केंद्रीय सूचना आयोग क्या है?

- स्थापना: इसकी स्थापना RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय (संवैधानिक निकाय नहीं) के रूप में की गई थी।
- संरचना: इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और 10 से अधिक नहीं, जतिनी आवश्यक समझी जाए, केंद्रीय सूचना आयुक्तों की संख्या शामिल होगी।
- नयुक्ति: सदस्यों की नयुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसमें नमिनलखित शामिल होते हैं:
 - प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)।
 - लोकसभा में वपिकष के नेता
 - प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
- पात्रता और छूट: वधि, वजिज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता या शासन में अनुभव वाले प्रतषिठित व्यक्तित्व।
 - सांसद, वधायक नहीं होना चाहिये, या किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिये।
 - कोई राजनीतिक संबद्धता, व्यवसाय या पेशेवर जुड़ाव नहीं।
 - ये पुनरनयुक्ति के पात्र नहीं हैं।
- CIC की शक्तियाँ: गवाहों को बुलाना, दस्तावेजों का नरीक्षण करना, सार्वजनिक अभिलेखों की मांग करना, तथा जाँच के लिये समन जारी करना।
- कार्य: इसकी प्राथमिक भूमिका RTI अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और नागरिकों के सूचना के अधिकार को बनाए रखना है।
 - यह न्यायालय केंद्र सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों के कार्यालयों, वतित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों और अन्य संस्थाओं से जुड़े मामलों का समाधान करता है।

आगे की राह

- रक्तियों पर ध्यान देना: समय पर अपीलों के समाधान हेतु सूचना आयोगों में रक्तियों की पूर्ति के लिये नयुक्तियों में तीव्रता लाना तथा RTI के ढाँचे में नागरिकों का वशिवास बनाए रखना।
 - उच्चतम न्यायालय की सिफारिश के अनुसार वधि क्षेत्रों के पेशेवरों को शामिल करने के लिये नयननात्मक मानदंडों को व्यापक बनाया जाना चाहिये।
- उन्नत कवरेज: सार्वजनिक-नरिणी भागीदारी (PPP), खेल नकियों और सहकारी समितियों को RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिये, ताकि वशिष रूप से सार्वजनिक धन के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
 - वतित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये राजनीतिक दलों को RTI अधिनियम के अंतर्गत लाया जाए।
- डिजिटल एकीकरण: सभी डाकघरों को डाक-मुक्त RTI आवेदन स्वीकार करने की अनुमति दी जाए, वशिष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिये।
 - सभी राज्यों को राष्ट्रीय सूचना वजिज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा डिजिाइन किया गया एकीकृत RTI पोर्टल अपनाने के लिये प्रोत्साहित

करना, ताकि नागरिकों के लिये याचिका दायर करना आसान हो सके।

- **जवाबदेही:** सार्वजनिक प्राधिकरणों को **जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होना चाहिये** तथा उन्हें **नियमिit रूप से जानकारी देनी चाहिये** तथा **रिपोर्ट देनी चाहिये** कि वे RTI याचिकाओं को किस प्रकार संभाल रहे हैं।

?????? ???? ???? ???? ??:

प्रश्न: सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के वर्तमान मुद्दों पर चर्चा कीजिये और बेहतर प्रशासन के लिये इसे सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइये।

UPSC सवलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????

प्रश्न: सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तीकरण के बारे में ही नहीं है, अपत्ति यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परिभाषित करता है।" वविचना कीजिये। (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/delays-in-appointing-information-commissioners>

